भारत का संविधान की उद्देशिका में निरूपित सिद्धान्त "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय" वस्तुतः भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। नागरिकों के मूलाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने और विवादों को तय करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के नियन्त्रण में अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, विशिष्ट न्यायालयों तथा राज्य लोक सेवा अधिकरण आदि का गठन किया गया है।

2– भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतन्त्र है। इसकी आबादी का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। इनमें अधिकांशतः लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। भारतीय संविधान में जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर विभेद वर्जित है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख किया गया है। भारत का कोई नागरिक आर्थिक या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाये, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियाँ कार्यशील हैं, जिनके द्वारा आर्थिक या अन्य किसी कमजोरी के कारण निर्धन व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।

3– राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक समरसता एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने तथा न्याय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ बनाने के उद्देश्य से न केवल आवश्यक विधायन लाकर प्रक्रिया में सुधार किया

गया है वरन् विभिन्न स्तरों पर नए तथा विशिष्ट न्यायालय भी सृजित किये गये हैं।

4— प्रदेश में न्याय प्रशासन के अधीन वर्तमान में जो व्यवस्था है, उनका संक्षिप्त विवरण अधोअंकित है:—